



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2021/डी- 367

दिनांक:- 3.2.2021

रुहिन डवलपर्स एण्ड प्रोपर्टीज एल.एल.पी.
जरिये पार्टनर श्री फेलेन्द्र दीवान पुत्र श्री सुरेश कुमार दीवान,
पंजीकृत कार्यालय डी-73, कुसुम विहार, गली नम्बर 10,
रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर।

विषय:-निजी खातेदारी की आवासीय योजना दक्षिणपुरी फेज-प्रथम के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 40, 41, 42, 43, 44 एवं 45 के प्रस्तावित संशोधित आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
संदर्भ:-आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2021 के क्रम मे।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.01.2021 के क्रम मे किये गये निवेदन अनुसार निजी खातेदारी की योजना दक्षिणपुरी फेज-प्रथम के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 40, 41, 42, 43, 44 एवं 45 क्षेत्रफल 1322.56 वर्ग गज (1105.81 व.मी.) पर 18.0 मीटर ऊँचाई (स्टील्ट + 18 मीटर) के आवासीय भवन के प्रस्तावित संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 21.01.2021 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 21.01.2021 मे लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से सात वर्ष तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन विनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र मे सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा-15.2 के अनुसार भवन विनियम प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें सम्बन्धित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
6. जविप्रा भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
7. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, समक्ष अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
8. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
9. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
10. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
11. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय मे यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय मे प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
12. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस-पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारो ओर पर्दे लगवाये जावें।
13. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना मे भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
14. जविप्रा भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।
15. वर्षा जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
16. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

संलग्न:-अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एक सैट (03 मानचित्र)।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षी पत्रावली।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपायुक्त एवं उपायुक्त जोन-9 अधिकारी
जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

-sd-
(विजेन्द्र कुमार मीना)
उपायुक्त जोन-9

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555
ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

संपूर्ण प्रकल्प अर्थात बांधणी व बांधणीनंतरचे स्थिती यांचा अंदाजित खर्च खालीलप्रमाणे आहे.

अंदाजित खर्च (रु.)

बांधणी खर्च - 10000000.00

बांधणीनंतरचे स्थिती खर्च - 5000000.00

एकूण अंदाजित खर्च - 15000000.00

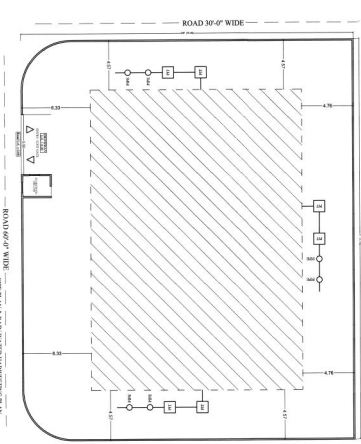
क्र.	विवरण	एकक	प्रमाण	दर (रु.)	एकूण (रु.)
1	बांधणी खर्च	चौरस मीटर	10000	10000000.00	10000000.00
2	बांधणीनंतरचे स्थिती खर्च	चौरस मीटर	5000	5000000.00	5000000.00
3	एकूण अंदाजित खर्च				15000000.00

क्र.	विवरण	एकक	प्रमाण	दर (रु.)	एकूण (रु.)
1	बांधणी खर्च	चौरस मीटर	10000	10000000.00	10000000.00
2	बांधणीनंतरचे स्थिती खर्च	चौरस मीटर	5000	5000000.00	5000000.00
3	एकूण अंदाजित खर्च				15000000.00

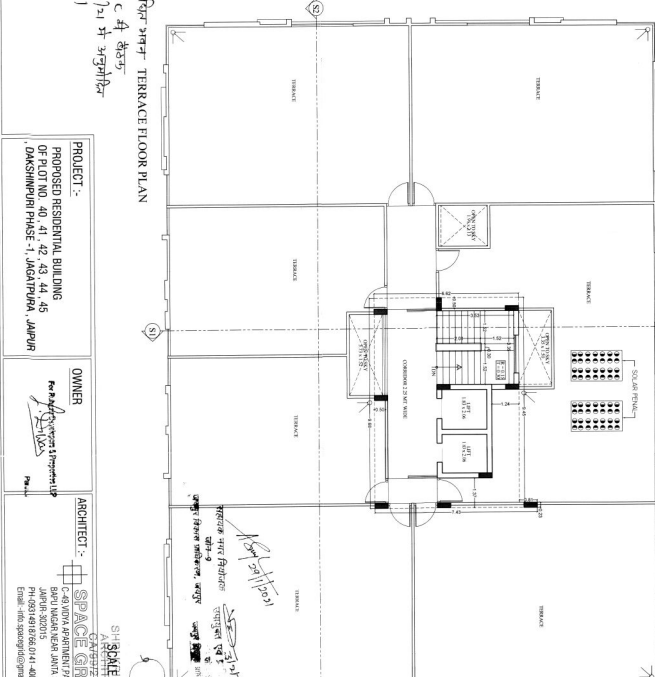
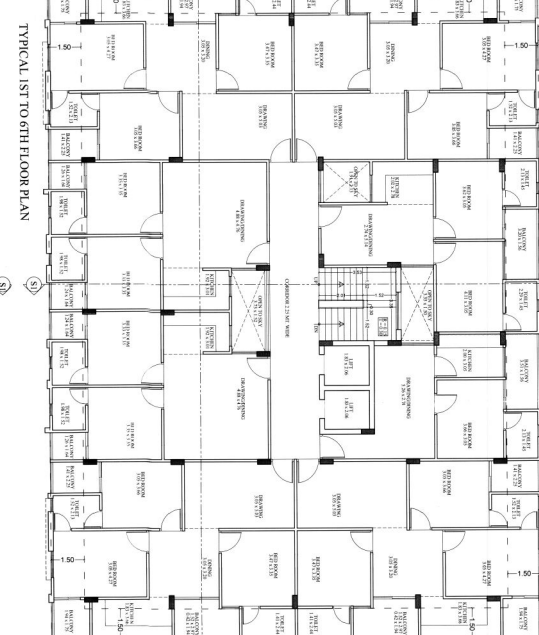
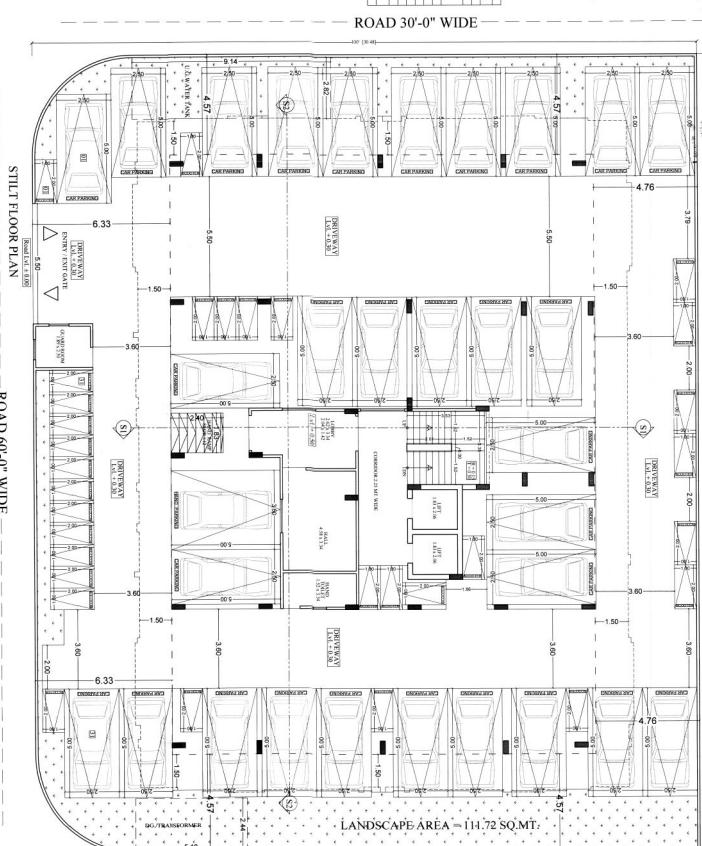
क्लब हाऊस बांधणीचे क्षेत्रीय विवरण

क्लब हाऊस बांधणीचे क्षेत्रीय विवरण

क्लब हाऊस बांधणीचे क्षेत्रीय विवरण



BASMENT FLOOR PLAN

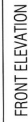


PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT NO. 40, 41, 42, 43, 44, 45, DOKHAMPUR PHASE-1, JALANDHAR, JHARKHAND

OWNER :-

ARCHITECT :-

SCALE :- 1:100



संशोधित
उपलब्ध भानिपत्र २८ मे
लैक्य दिनांक २१/०१/२१
अनुशोधित किमे जल है।

[illegible]

SHR! KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

ARCHITECT:- SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
RAJULIACAD NEAR JANTA STORE CIDCO.

BAPU NAGAR, NEAR JANITA STORE CHIND
JAIPUR-302015
011-26014010, 26014011, 26014012

PH-09314918/66,0141-4005306 (U)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

OWNER	A
-------	---

Don't Miss Out on This Opportunity

Signature Date

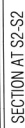
21

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING

OF PLOT NO. 40, 41, 42, 43, 44, 45

DAKSHINPURI PHASE -1, JAGATPURA , JAIPUR



agreement **amrita gya** **gpa**
accreditation checked at phillip
award before production for

SHEET NO-03

LEFT SIDE ELEVATION

BACK ELEVATION

ARCHITECT :-



SPACE GRID

C-49, VINYA APARTMENT, PARIS MARG,
BAHU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRC,
JALPUR-382015

PH-0931491876/0141-4065506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100